19/12/19

पत्रावली पत्रावली पक्षगण एवं उनके अधिवक्ता श्री रामानन्द सिंह तथा प्रस्तुत पत्र पर निर्णय तलबी स्वीकार किये जाने पर तलब की गई। पत्रावली में एक पत्र पर इस आशय का पत्र लिखा है कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर आपसी समझौता चाहते हैं। पत्रावली का पत्र पर स्वीकार किया प्रकार वाद पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली कमेश्वर कुमार पंकज नायब से कार्य है व उनके द्वारा टंकित है।

21

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.01.07 17:00:59 IST
Reason: SelfAttested